न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 122/2019

अनवान :

1. हवासिंह पुत्र श्री जयलाल जाति नाई निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।

– **वादी**

बनाम

1. जयलाल पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी उतरादाबास।

– **असल प्रतिवादी**

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
3. भूपसिंह } पि0 जयलाल
4. हरिसिंह
5. सुमित्रा } पुत्रियां जयलाल
6. गुडी
7. कलावती
8. कमला पत्नी वीरसिंह पुत्र जयलाल
9. नरेश } पुत्रान वीरसिंह पुत्र जयलाल
10. पवन

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री भानूप्रताप : वादी

निर्णय **दिनांक :** 17-2-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा उतरादाबास के खातासं0 56/55 के खसरा संख्या 299 की 2.9850 है0 खसरा सं0 463/206 की 0.6570 है0 कुल खसरा 2 की 3.6420 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी जयलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा भनाई के खाता सं0 118/113 के खसरा नं0 870/289 की 1.6900 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी जयलाल के नाम खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 तथा प्रतिवादीगण 3 ता 10 हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है वाद भूमि पहले वादी के दादा मनीराम की खातेदारी हुआ करती थी मनीराम के देहान्त होने पर उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी जयलाल तथा प्रतिवादीगण 3 ता 7 तथा 8 ता 10 के पति व पिता को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी परन्तु प्रतिवादी जयलाल करता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 3 ता 10 की

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 3 ता 10 का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वाद भूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादी जयलाल तथा प्रतिवादीगण 3 ता 10 का पारिवारिक सेटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 5 ता 7 ने वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा था उसे वादी व प्रतिवादी सं0 1 जयलाल तथा प्रतिवादी सं0 3 व 4 एवं प्रतिवादी सं0 8 ता 10 के पति व पिता के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया जिस पर वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 जयलाल तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी सं0 8 ता 10 के पति व पिता को 1/5 हिस्सा प्रत्येक को प्राप्त हो गई एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 ने अपना हिस्सा शुन्य कर लिया था इसी अनुसार वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी जयलाल तथा प्रतिवादी 3 व 4 तथा 8 से 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में वाद भूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी जयलाल के नाम से चली आ रही है जिसे वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 ता 10 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी हवासिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यचित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम उतरादाबास खाता सं0 56/55 सम्वत् 2071 से 74 की प्रदर्श 1, सत्यचित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भनाई खाता सं0 118/113 सम्वत् 2074 से 77 की प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग ग्राम भनाई सम्वत् 2019 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग ग्राम उतरादाबास अनूपशहर सम्वत् 2019 प्रदर्श 4 व 5, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6, 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 3 ता 7 व 9, 10 का भी प्रतिवादी जयलाल के साथ साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया सं0 5 ता 7 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 एवं प्रतिवादीगण सं0 8 ता 10 के पति/पिता के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी के बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम उतरादाबास व भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है व प्रतिवादीया सं0 5 ता 7 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी, प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 व प्रतिवादीगण सं0 8 ता 10 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर दिया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग ग्राम भनाई सम्वत् 2019 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग ग्राम उतरादाबास अनूपशहर सम्वत् 2019 प्रदर्श 4 व 5 प्रदर्शित करवाये है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा मनीराम वल्द मामराज के नाम दर्ज हैं जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 व 7 में जयलाल के वारिसान में तीन पुत्र होना व तीन पुत्रियां सुमित्रा,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

गुड्डी देवी, कलावती होना व एक पुत्र वीरसिंह फौत होना जिसके वारिसान में वीरसिंह की पत्नि कमलादेवी, दो पुत्र पवन कुमार व नरेश कुमार होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है तथा राजीनामा में प्रतिवादीया सं0 5 ता 7 ने वाद्ग्र कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा वादी, प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 व प्रतिवादीगण सं0 8 ता 10 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उतरादाबास के खातासं0 56/55 के खसरा संख्या 299 की 2. 9850 है0 खसरा सं0 463/206 की 0.6570 है0 कुल खसरा 2 की 3.6420 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी जयलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा भनाई के खाता सं0 118/113 के खसरा नं0 870/289 की 1.6900 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी जयलाल के नाम खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1, 3 व 4 चारों बहिस्सा बराबर 4/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 8 ता 10 बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी, प्रतिवादी सं0 1, 3 , 4 व प्रतिवादी सं0 8 ता 10 के पक्ष में बहिस्सा बराबत तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी, प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 के नाम बहिस्सा बराबर 4/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 8 ता 10 के नाम बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-2-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 122/2019

अनवान :

1. हवासिंह पुत्र श्री जयलाल जाति नाई निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. जयलाल पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी उतरादाबास।

– असल प्रतिवादी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
3. भूपसिंह } पि0 जयलाल
4. हरिसिंह
5. सुमित्रा } पुत्रियां जयलाल
6. गुडी
7. कलावती
8. कमला पत्नी वीरसिंह पुत्र जयलाल
9. नरेश } पुत्रान वीरसिंह पुत्र जयलाल
10. पवन

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानुप्रताप की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उतरादाबास के खातासं0 56/55 के खसरा संख्या 299 की 2.9850 है0 खसरा सं0 463/206 की 0.6570 है0 कुल खसरा 2 की 3.6420 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी जयलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार रोही मौजा भनाई के खाता सं0 118/113 के खसरा नं0 870/289 की 1.6900 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी जयलाल के नाम खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1, 3 व 4 चारों बहिस्सा बराबर 4/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 8 ता 10 बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी, प्रतिवादी सं0 1, 3 , 4 व प्रतिवादी सं0 8 ता 10 के पक्ष में बहिस्सा बराबत तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी, प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 के नाम बहिस्सा बराबर 4/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 8 ता 10 के नाम बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-2-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 11:01:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: